

प्रश्न सं. [क. 644]

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दि० २१/५/२०१५

२२३/२४६/२०१४/२०-३

अपर महानिदेशक,
संचालनालय एन०सी०सी०
म०प्र० भोपाल।

विषय:- एन०सी०सी० कैडेट्स को मिलने वाली सुविधाएं-ग्रेस मार्क्स इन डिग्री
कोर्स/स्नातक में प्रवेश वावत्।

महानिदेशालय, एन०सी०सी० रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
द्वारा एन०सी०सी० कैडेट्स को डिग्री/स्नातक/स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश में
कृपांक का लाभ दिये जाने के संबंध में समरूपता लाये जाने के क्रम में राज्य
शासन एतद् द्वारा एन.सी.सी. शिविर/कोर्स करने वाले एन०सी०सी० कैडेट्स को
निम्नानुसार प्रोत्साहन/सुविधाएं दिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

एनसीसी शिविर/कोर्स का नाम	कृपांक
गणतंत्र दिवस शिविर	10%
जल सेना शिविर/वायु सेना शिविर/ नौ सेना शिविर	7%
एनसीसी० सी प्रमाण पत्र धारक	5%
एनसीसी० बी प्रमाण पत्र धारक	3%
अधिकतम कृपांक 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं	

2/ उपरोक्त सहमति म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की टीप
क्रमांक-यू०ओ०नं० ३४६/१९९२/२०१४/१/३, दिनांक १६.४.१५ द्वारा दी गई
सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर०के०तनवानी)
अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरन्तर...

28 MAY 2015

A.D.G.	16
Dy.D.G.	29/05
Dy.Dir.	29/05
Supdt.	29/05
Sec.Incharge	29/05

26
26/5

Disseminate down to
+ level through P2

(7/10/3)

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-207/584/2016/20-3
प्रति,

भोपाल, दि० 12/7/2017

✓ अपर महानिदेशक
एन०सी०सी० संचालनालय,
म०प्र० भोपाल।

विषय:- एनसीसी० "ए" प्रमाण पत्र धारी कैडेड्स को ग्रेस मार्क्स प्रदान किये जाने वावत।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती क्रमांक-2383/स्टेट/एनसीसी, दि० 8.3.2016

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 50-4/2012/20-3, दि० 4.6.2012 द्वारा जारी आदेशों को विस्तारित करते हुए एन०सी०सी० "ए" प्रमाण पत्र धारी कैडेड्स को 1/2 प्रतिशत कृपांक का लाभ दिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक-208/584/2016/20-3
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दि० 12/7/2017

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
 - (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
 - (3) निज सहायक, मान० मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 - (4) फोल्डर प्रति,
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

स्वीकृत
09/08/17

232
09/08/17